वित्त मंत्री का संवाददाता सम्मेलन

28 जून, 2021

महामारी के असर से आर्थिक राहत

कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना

स्वास्थ्य क्षेत्र: 50,000 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से अविकसित क्षेत्रों में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का लक्ष्य

- 8 महानगरों के अलावा अन्य शहरों में स्वास्थ्य/चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित विस्तार एवं नई परियोजनाओं के लिए गारंटी कवर।
- गारंटी कवरेज: विस्तार के लिए 50 प्रतिशत और नई परियोजनाओं के लिए 75 प्रतिशत।
- आकांक्षी जिलों में विस्तार एवं नई परियोजना दोनों के लिए 75 प्रतिशत गारंटी कवर।
- अधिकतम ऋण: 100 करोड़ रुपये, गारंटी की अवधि: 3 साल तक।
- निर्धारित ब्याज दर 7.95 प्रतिशत।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा गारंटी

अन्य क्षेत्र: 60,000 करोड़ रुपये

- निर्धारित ब्याज दर सालाना 8.25 प्रतिशत।
- उभरती जरूरतों के आधार पर बाद के चरण में निर्णय।

गारंटी कवर के बिना सामान्य ब्याज 10 से 11 प्रतिशत है।

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अतिरिक्त 1.5 लाख करोड़ रुपये

- मई, 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू।
- ईसीएलजीएस-1.0, 2.0 और 3.0 के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों, निजी क्षेत्र के 25 बैंकों और 31 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा 1.1 करोड़ इकाइयों को 2.69 लाख करोड़ रुपये के ऋण वितरण किए गए।
- व्यापक संपर्क वाले क्षेत्रों को पहले से कवर किया गया है और उसे जारी रखा जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिये इन क्षेत्रों को अब तक 4,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- स्वीकार्य गारंटी और ऋण राशि की सीमा को प्रत्येक ऋण पर बकाये के 20 प्रतिशत के मौजूदा स्तर से बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- उभरती जरूरतों के आधार पर क्षेत्रवार विवरण को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- स्वीकार्य गारंटी की कुल सीमा को 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के जरिए 25 लाख व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी योजना

- लगभग 25 लाख छोटे उधारकर्ताओं को 1.25 लाख रुपये तक उधारी देने करने के लिए नए अथवा मौजूदा एनबीएफसी-एमएफआई या एमएफआई को ऋण के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गारंटी प्रदान की जाएगी।
- बैंकों से ऋण पर ब्याज दर को एमसीएलआर से 2 प्रतिशत अधिक पर सीमित किया जाएगा।
- ऋण की अधिकतम अवधि 3 वर्ष, एमएफआई द्वारा 80 प्रतिशत सहायता का उपयोग वृद्धिशील उधारी देने में किया जाएगा, ब्याज दर आरबीआई द्वारा निर्धारित अधिकतम दर से करीब 2 प्रतिशत कम।
- नई उधारी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा न कि पुराने ऋण के पुनर्भुगतान पर।
- उधारकर्ताओं को ऋण आरबीआई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए जैसे उधारदाताओं की संख्या, उधारकर्ता का जेएलजी का सदस्य होना, घरेलू आय एवं ऋण की अधिकतम सीमा आदि।
- सभी उधारकर्ता (89 दिनों तक के चूककर्ताओं सहित) पात्र होंगे।
- एमएलआई द्वारा एमएफआई/एनबीएफसी-एमएफआई को 31 मार्च, 2022 तक या 7,500 करोड़ रुपये की राशि जारी होने तक (जो भी पहले हो) प्रदान की गई रकम के लिए गारंटी कवर।
- नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) के जरिये 3 साल तक के लिए 75 प्रतिशत डिफॉल्ट रकम के लिए गारंटी।
- एनसीजीटीसी द्वारा कोई गारंटी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए : 11,000 से अधिक पंजीकृत टूरिस्ट गाइडों/यात्रा एवं पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता

- कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लोगों को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने और कोविड-19 के कारण प्रभावित व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी/व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना में शामिल होंगे:
  - ✓ पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय स्तर के 10,700 टूरिस्ट गाइड।
  - ✓ पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा एवं पर्यटन हितधारक (टीटीएस) (904)।
- निम्नलिखित सीमा तक ऋण 100 प्रतिशत गारंटी के साथ प्रदान किया जाएगा:
  - टीटीएस के लिए 10,00,000 रुपये (प्रति एजेंसी)।
  - क्षेत्रीय या राज्य स्तर पर लाइसेंस प्राप्त टूरिस्ट गाइडों के लिए 1,00,000 रुपये।
- कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं, फोरक्लोजर/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट। गिरवी रखने संबंधी कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं।
- इस योजना को एनसीजीटीसी के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा।

5 लाख पर्यटकों को मुफ्त पर्यटक वीजा

- 2019 में 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया, अवकाश एवं व्यापार पर 30.098 अरब डॉलर खर्च किए।
- भारत में विदेशी पर्यटक के लिए औसत दैनिक प्रवास 21 दिन है। भारत में पर्यटक का औसत दैनिक खर्च लगभग 34 डॉलर (2,400 रुपये) है।
- वीजा जारी करने की प्रक्रिया सुचारु होने के बाद पहले 5 लाख पर्यटक वीजा नि:शुल्क जारी किए जाएंगे।
- यह लाभ प्रति पर्यटक केवल एक बार मिलेगा।
- यह योजना 31 मार्च, 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगी।
- कुल वित्तीय भार 100 करोड़ रुपये होगा।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

- 1 अक्टूबर, 2020 को लॉन्च किया गया। नियोक्ताओं को नए रोजगार के सृजन, रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए ईपीएफओ के जरिये प्रोत्साहित किया गया है।
- 58.50 लाख अनुमानित लाभार्थियों के लिए 22,810 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय। पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून 2021 है।
- 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पाने वाले नए कर्मचारियों के लिए पंजीकरण से दो साल के लिए सब्सिडी प्रदान की गई है:
  - 1,000 कर्मचारियों तक के संस्थानों के लिए नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों अंशदान (वेतन का कुल 24 प्रतिशत)।
  - 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों के मामले में केवल कर्मचारी अंशदान (वेतन का 12 प्रतिशत)।
- 18 जून 2021 तक 79,577 संस्थानों के 21.42 लाख लाभार्थियों को 902 करोड़ रुपये के लाभ दिए गए।
- इस योजना को 30 जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक विस्तार दिया गया है।

डीएपी और पीएंडके उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी (पूर्व में की गई घोषणा)

- रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2021-22 में 432.48 लाख मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद (आरएमएस 2020-21 में 389.92 लाख मीट्रिक टन के मुकाबले)।
- किसानों को 85,413 करोड़ रुपये का भुगतान।
- वित्त वर्ष 2020-21 में मौजूदा एनबीएस सब्सिडी 27,500 करोड़ रुपये थी जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2021-22 में 42,275 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- 14,775 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। इसमें डीएपी के लिए 9,125 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी और एनपीके आधारित मिश्रित उर्वरक के लिए 5,650 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी शामिल है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) का विस्तार (पूर्व में की गई घोषणा)

- कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आर्थिक व्यवधान से गरीबों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए पीएमजीकेएवाई को 26 मार्च 2020 को शुरू किया गया था।
- शुरू में इस योजना को अप्रैल से जून 2020 की अवधि के लिए लॉन्च किया गया था। लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों को निरंतर सहायता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस योजना को नवंबर 2020 तक विस्तार दिया गया था।
- 2020-21 में इस योजना की कुल लागत 1,33,972 करोड़ रुपये थी।
- कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर गरीबों/कमजोर तबके के लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मई 2021 में इस योजना को फिर से शुरू किया गया था।
- एनएफएसए के लाभार्थियों को मई से नवंबर 2021 तक 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा।
- अनुमानित वित्तीय भार 93,869 करोड़ रुपये है जिससे पीएमजीकेवाई की कुल लागत 2,27,841 करोड़ रुपये हो गई है।

स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए 23,220 करोड़ अतिरिक्त

- 15,000 करोड़ रुपये की आपातकालीन स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना (2020-21) के जरिये कोविड समर्पित अस्पतालों में 25 गुना वृद्धि, 7,929 कोविड स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, 9,954 कोविड केयर सेंटर स्थापित, ऑक्सीजन से लैस बिस्तरों की संख्या में 7.5 गुना वृद्धि, आइसोलेशन बेड में 42 गुना वृद्धि और आईसीयू बेड में 45 गुना वृद्धि हुई।
- **बच्चों और बाल चिकित्सा सेवा/ बाल चिकित्सा बिस्तरों पर विशेष जोर** देते हुए लघु अवधि की आपातकालीन तैयारी पर केंद्रित नई योजना।
- एक साल के लिए 23,220 करोड़ रुपये निर्धारित।
- मेडिकल छात्रों (इंटर्न, रेजिडेंट, अंतिम वर्ष) और नर्सिंग छात्रों के जरिये मानव संसाधन में अल्पकालिक वृद्धि के लिए वित्त पोषण।
- केंद्रीय, जिला और उप-जिला स्तर पर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन आपूर्ति की उपलब्धता बढ़ाई गई।
- उपकरणों, दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, टेलीकंसल्टेशन तक पहुंच और एम्बुलेंस सेवाएं सुनिश्चित करना।
- जांच क्षमता एवं सहायक निदान में वृद्धि, निगरानी एवं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए क्षमता को बेहतर करना।

विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन

कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और किसानों की आय में सुधार: जलवायु के अनुकूल विशेष गुण वाली किस्मों को जारी किया

- पहले अनुसंधान मुख्य तौर पर अधिक उपज वाली फसल किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित था। पोषण, जलवायु के अनुकूल एवं अन्य विशेषताओं की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।
- महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की मौजूदगी आवश्यक स्तर से काफी नीचे, जैविक एवं अजैविक दबावों के प्रति अतिसंवेदनशील।
- आईसीएआर ने प्रोटीन, लौह, जिंक, विटामिन-ए जैसे उच्च पोषक तत्वों वाली जैव-फोर्टिफाइड फसल किस्मों को विकसित किया है।
- रोगों, कीटों, सूखे, लवणता और बाढ़ के प्रति सहनशील, जल्दी पकने वाली और यांत्रिक कटाई के लिए अनुकूल किस्मों का भी विकास किया गया।
- चावल, मटर, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, क्विनोआ, बकव्हीट, विंग्ड बीन, अरहर एवं चारे की ऐसी 21 किस्में राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी।

नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार

- पूर्वोत्तर के किसानों को कृषि बागवानी उत्पादों का लाभकारी मूल्य हासिल करने में मदद करने के उद्देश्य से 1982 में स्थापित।
- पूर्वोत्तर में कृषि उपज, खरीद, प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए बुनियादी ढांचे में विस्तार का लक्ष्य।
- एनईआरएएमएसी में 75 किसान उत्पादक संगठन/किसान उत्पादक कंपनियां पंजीकृत हैं। पूर्वोत्तर की 13 जीआई फसलें पंजीकृत हैं।
- बिचौलियों/एजेंटों को दरकिनार कर किसानों को 10 से 15 प्रतिशत अधिक मूल्य देने के लिए कारोबारी योजना तैयार।
- क्षमता निर्माण, एकत्रीकरण, विपणन एवं प्रौद्योगिकी के लिए रूपरेखा तैयार।
- नॉर्थ ईस्टर्न सेंटर फॉर आर्गेनिक कल्टिवेशन स्थापित करने, उद्यमियों को इक्विटी वित्त पोषण की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव।
- एनईआरएएमएसी के वित्तीय पुनर्गठन एवं फंड के लिए 77.45 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तावित।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के जरिये परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन

- एनईआईए ट्रस्ट जोखिम कवर का विस्तार करते हुए मध्यावधि एवं दीर्घकालिक (एमएलटी) परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है।
- कम क्रेडिट योग्य उधारकर्ताओं को एग्जिम बैंक द्वारा दिए गए क्रेता क्रेडिट कवर प्रदान किया गया है और परियोजना निर्यातकों की मदद की गई है।
- एनईआईए ट्रस्ट ने 31 मार्च, 2021 तक 63 विभिन्न भारतीय परियोजना निर्यातकों की 52 देशों में 52,860 करोड़ रुपये की 211 परियोजनाओं का समर्थन किया है।
- एनईआईए को 5 वर्षों के दौरान अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि वह 33,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परियोजना को आर्थिक मदद देने में समर्थ हो सके।

निर्यात बीमा कवर के लिए 88,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन

- एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (ईसीजीसी) ऋण बीमा सेवाएं प्रदान करते हुए निर्यात को बढ़ावा दे रहा है।
- इसके उत्पाद भारत के कुल मर्केंडाइज निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत हिस्से को कवर करते हैं।
- ईसीजीसी में 5 वर्षों के दौरान इक्विटी पूंजी डालने का प्रस्ताव है ताकि निर्यात बीमा कवर को 88,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सके।

डिजिटल इंडिया: भारतनेट पीपीपी मॉडल के जरिये प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपये

- 15 अगस्त, 2020: प्रधानमंत्री ने 1,000 दिनों में सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने की घोषणा की।
- 2,50,000 ग्राम पंचायतों में से 1,56,223 ग्राम पंचायतों में 31 मई, 2021 तक यह सेवा शुरू हो जाएगी।
- वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर 16 राज्यों (9 पैकेज के बंडल में) में पीपीपी मॉडल के तहत भारतनेट का कार्यान्वयन।
- भारतनेट के लिए 19,041 करोड़ रुपये अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं।
- कुल परिव्यय 61,109 करोड़ रुपये होगा जिसमें 2017 में पहले से स्वीकृत 42,068 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।
- सभी ग्राम पंचायतों और आबादी वाले गांवों को कवर करने के लिए भारतनेट का विस्तार एवं उन्नयन।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना की अवधि में विस्तार

- लक्षित श्रेणियों के तहत भारत में विनिर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर 5 वर्षों की अवधि के लिए 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- प्रोत्साहन 01 अगस्त 2020 से लागू। आधार वर्ष 2019-20 है।
- कंपनियां निम्नलिखित कारणों से वृद्धिशील बिक्री लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ रही हैं:
  - वैश्विक महामारी संबंधी लॉकडाउन के कारण उत्पादन गतिविधियों में व्यवधान,
  - कर्मियों की आवाजाही पर पाबंदी,
  - संयंत्र को किसी अन्य जगह स्थापित करने एवं मशीनरी की स्थापना में देरी,
  - घटकों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान।
- 2020-21 में शुरू की गई इस योजना की अवधि एक साल यानी 2025-26 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- इसमें भाग लेने वाली कंपनियों को योजना के तहत अपने उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई भी पांच साल चुनने का विकल्प मिलेगा।
- निवेश को 2020-21 के लिए भी योग्य निवेश माना गया।

सुधार आधारित, परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये

- बुनियादी ढांचे के निर्माण, प्रणाली के उन्नयन, क्षमता निर्माण एवं प्रक्रियाओं में सुधार के लिए डिस्कॉम को सुधार आधारित, परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना के तहत वित्तीय सहायता।
- 'वन साइज फिट्स ऑल' यानी सभी के लिए एकसमान योजना की जगह राज्य विशेष के लिए खास पहल।
- ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट का प्रकाशन, राज्य सरकार के बकाये/डिस्कॉम को सब्सिडी का अग्रिम परिसमापन और अतिरिक्त नियामक परिसंपत्तियों का गैर-सृजन आदि पूर्व-योग्यता मानदंडों में भागीदारी।
- 25 करोड़ स्मार्ट मीटर, 10,000 फीडर, 4 लाख किमी एलटी ओवरहेड लाइन की योजना।
- आईपीडीएस, डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के तहत जारी कार्यों को एकीकृत किया जाएगा।
- कुल आवंटन-3,03,058 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्सेदारी- 97,631 करोड़ रुपये।
- राज्यों को पहले ही चार साल के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का सालाना 0.5 प्रतिशत (2021-22 के लिए 1,05,864 करोड़ रुपये) तक अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है बशर्ते बिजली क्षेत्र में विशिष्ट सुधार किए जाएं।

पीपीपी परियोजनाओं और परिसंपत्ति के मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया

- सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मंजूरी की वर्तमान प्रक्रिया लंबी है और इसमें मंजूरी के कई स्तर शामिल हैं।
- पीपीपी प्रस्तावों के मूल्यांकन एवं मंजूरी और इनविट सहित प्रमुख परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नई नीति तैयार की जाएगी।
- इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निर्माण एवं प्रबंधन के लिए वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की क्षमता को सुगम बनाने के लिए परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी सुनिश्चित करना है।

वित्तीय विवरण

योजना	**अवधि**	**राशि (करोड़ रुपये में)**	**टिप्पणी**
महामारी के असर से आर्थिक राहत			
कोविड प्रभावितों क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना	2021-22	1,10,000	
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस)	2021-22	1,50,000	विस्तार
सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना	2021-22	7,500	
टूरिस्ट गाइड/ हितधारकों के लिए योजना	2021-22	-	ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत शामिल
5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा	2021-22	100	

योजना	अवधि	राशि (करोड़ रुपये में)	टिप्पणी
महामारी के असर से आर्थिक राहत (जारी...)			
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार	2021-22	-	
डीएपी एवं पीएंडके उर्वरकों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी	2021-22	14,775	
पीएमजीकेवाई के तहत मई से नवंबर, 2021 तक मुफ्त अनाज	2021-22	93,869	
स्वास्थ्य			
जन स्वास्थ्य के लिए नई योजना	2021-22	15,000	योजना परिव्यय- 23,220 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्सेदारी- 15,000 करोड़ रुपये

योजना	**अवधि**	**राशि (करोड़ रुपये में)**	
विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन			
जलवायु के अनुकूल विशेष गुण वाली किस्म जारी	2021-22	-	
नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन (एनईआरएएमएसी) का पुनरुद्धार	2021-22	77	
एनईआईए के जरिये परियोजना निर्यात को बढ़ावा	2021-22 से 2025-26	33,000	
निर्यात बीमा कवर को प्रोत्साहन	2021-22 से 2025-26	88,000	

योजना	**अवधि**	**राशि (करोड़ रुपये में)**	
विकास एवं रोजगार के लिए प्रोत्साहन (जारी..)			
भारतनेट पीपीपी मॉडल के जरिये हरेक गांव में ब्रॉडबैंड सेवा	2021-22 से 2022-23	19,041	
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना की अवधि में विस्तार			समय में विस्तार
सुधार आधारित परिणाम से जुड़ी बिजली वितरण योजना (बजट घोषणा)	2021-22 से 2025-26	97,631	योजना परिव्यय- 3,03,058 करोड़ रुपये, केंद्रीय हिस्सेदारी- 97,631 करोड़ रुपये
कुल		**6,28,993**	

धन्यवाद